POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 20.01.2026

1. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा गांजा तस्करी (बिक्री) करने वाले 03 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 09 किलो 900 ग्राम गांजा व बिक्री से प्राप्त 2,90,400 रुपये नकद बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **20.01.2026** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गांजा तस्करी (बिक्री) करने वाले 05 अभियुक्त (महिला/पुरुष) 1. सत्य शरण पुत्र मेवाराम 2. सुमित पुत्र मेवाराम 3. अभिषेक पुत्र मुन्ना राम 4. लाली पत्नी अभिषेक उर्फ दुर्गेश 5. कश्मीरा पत्नी धीर सिंह को थाना क्षेत्रांतर्गत सीआईएसएफ कैम्प यू-टर्न के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त सत्य शरण के कब्जे से 02 किलो 700 ग्राम गांजा, 100400 रुपये नकद, 01 कैंची, 01 स्टेप्लर, 03 पिन की डिब्बी व 06 पारदर्शी पॉलीथीन के छोटे पैकेट व अभियुक्त सुमित के कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम गांजा, 109700 रुपये नकद व अभियुक्त अभिषेक के कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम गांजा, 80300 रुपये नकद व अभियुक्ता लाली व कश्मीरा के कब्जे से क्रमशः 700 ग्राम व 02 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है ।

1- अभियुक्त/अभियुक्ता पिछले 06 वर्ष से गुलिस्तानपुर में रहते हैं।
2- अभियुक्त सत्यशरण पुत्र मेवाराम ने कक्षा -5वीं तक शिक्षा ग्रहण की है।
3- अभियुक्त सुमित पुत्र मेवाराम ने कक्षा-8 वीं तक शिक्षा ग्रहण की है।
4- अभियुक्त अभिषेक पुत्र मुन्नाराम ने कक्षा-10 वीं तक शिक्षा ग्रहण की है।
5- अभियुक्ता लाली पत्नी अभिषेक व कश्मीरा पत्नी धीर सिंह दोनों अनपढ़ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सत्यशरण पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम जरियन पुर, थाना मिर्जापुर, शाहजहांपुर उम्र-35 वर्ष।
2. सुमित पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम राउत, थाना मजगुआ, हमीरपुर वर्तमान पता शाकीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र 19 वर्ष।
3. अभिषेक पुत्र मुन्ना राम निवासी ग्राम टोला राऊत, थाना मजगुआ, हमीरपुर वर्तमान पता गुलिस्तानपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र 19 वर्ष।
4. लाली पत्नी अभिषेक उर्फ दुर्गेश निवासी नगला धनी थाना जसराना जिला फिरोजाबाद उम्र 27 वर्ष।
5. कश्मीरा पत्नी धीर सिंह निवासी ग्राम शायपुर, थाना उसैत, जिला बदायूँ वर्तमान पता गुलिस्तानपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 035/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1- कुल 09 किलो 900 ग्राम गांजा।

2- 2,90,400 रुपये नकद।

2. थाना नॉलेजपार्क पुलिस द्वारा 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **20.01.2025** को **थाना नॉलेजपार्क पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से नामजद अभियुक्त अभय कुमार पुत्र विक्रमलाल को सेक्टर-150 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16/17.01.2026 की रात्रि को कार चालक युवराज पुत्र राजकुमार उम्र करीब 27 वर्ष की बिल्डर के द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग में बरती गयी लापरवाही के चलते उसके प्लाट में भरे पानी में डूबने से मृत्यु हो जाना के संबंध में थाना नॉलेजपार्क पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त वाँछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभय कुमार पुत्र विक्रमलाल- डायरेक्टर बेस्टटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड; निवासी कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 20/2026 धारा 105,106(1)/125 बीएनएस, थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना फेस-2 पुलिस व सीआरटी स्वाट-02 टीम के संयुक्त प्रयास से फाइनेंस के नाम पर फर्जी दस्तावेजो को प्रयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 चार पहिया (लग्जरी) गाडियां एंव 28 कार्ड (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड व आर0सी0) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20.01.2026 को थाना फेस-2 पुलिस व सीआरटी स्वाट-02 टीम के संयुक्त प्रयास से फाइनेंस के नाम पर फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्त 1. अमित गुप्ता पुत्र सुदेश कुमार 2. अनुराग उर्फ अमित पुत्र धर्मवीर सिंह 3. नवीन भावरी पुत्र गोवर्धन भावरी को फूलमण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का तरीका-- ये सभी अभियुक्तगण आधार कार्डों, पैन कार्ड व वोटर कार्ड के माध्यम से फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर गाड़ियों को फाइनेंस कराकर क्रय कर लेते है उसके बाद क्रय की गयी गाड़ियों के बैंक फाइनेन्स (लोन) को जमा किये बिना अलग अलग राज्यो में ले जाकर बेच देते है तथा बेचते समय ग्राहको को यह आश्वसन देते है कि सम्बन्धित वाहन की दो- तीन माह में एनओसी उपलब्ध करा देगें। लोन की मासिक किश्त जमा न होने पर बैंक एजेन्ट दिये गये पते पर सम्पर्क करता है तो लोन के समय उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो में अंकित कराया गया पता फर्जी पाया जाता है।

1. ये सभी अभियुक्त विभिन्न आधार कार्डों, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से लोन कराकर गाडियां खरीदते थे।
2. ये सभी अभियुक्त फाइनेन्स का भुगतान किये बिना उन फाइनेन्स गाड़ियों को अलग अलग राज्यो(पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान) में ले जाकर कम कीमत पर बेच देते थे।
3. ये सभी अभियुक्त उसी गाड़ी पर पुनः लोन लेने के लिये आर.सी पर पूर्व से प्रदर्शित Hypothecation को हटाकर उसी वाहन पर पुनः बैंक से लोन करा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अमित गुप्ता पुत्र सुदेश कुमार निवासी बी-5/7 द्वितीय तल मॉडल टाऊन थाना मॉडल टाऊन, दिल्ली उम्र करीब 44 वर्ष, शिक्षा-कक्षा- 12वीं
2. अनुराग उर्फ अमित पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी बाँकनेर थाना खैर जिला अलीगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष शिक्षा-कक्षा -12वीं
3. नवीन भावरी पुत्र गोवर्धन भावरी निवासी आशापूर्नीय मंदिर के पास थाना सदर जिला पठनाकोट पंजाब उम्र करीव 48 वर्ष शिक्षा- कक्षा -12वीं

अभियुक्त अमित गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 573/2025 धारा 318(2)/336(3)/61(2)/3(5) बी.एन.एस थाना प्रशांत विहार रोहणी दिल्ली

2. मु0अ0स0 43/2026 धारा 318(4)/336(3) /338/340(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त अनुराग उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

1. मु0अ0स0 43/2026 धारा 318(4)/336(3) /338/340(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त नवीन भावरी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

1. मु0अ0स0 43/2026 धारा 318(4)/336(3) /338/340(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

1. 01 थार गाड़ी रजि0न0 -यूपी 14 जीडब्ल्यू 2833

2. 01 ग्रांड विटारा रजि0नं0-डीएल 2सीबी एफ 2307,

3. 01 किया सेल्टॉस रजि0न0- यूके 07 एचए 3170

4. 01 महिन्द्रा स्कार्पियों एन रजिस्ट्रेशन नं0-डीएल 8सीबी एच 1171

5. 01 अर्बन क्रूजर टेजर रजि0 नं0-डीएल 14 सीएल 10576. 28 कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड, आर0सी0 व डीएल)